सप्तदश

बिहार विधान सभा

चतुर्थ सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-3

बुधवार, तिथि 10 अग्रहायण, 1943 (श०) / 01 दिसम्बर, 2021 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 03

(1)	ग्रामीण विकास विभाग	01
(2)	श्रम संसाधन विभाग	01
(3)	ग्रामीण कार्य विभाग	01
	कुल योग --	03

मनरेगा मजदूरी राशि

9. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--स्थानीयी हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 18 नवम्बर, 2021 को प्रकाशित शीर्षक ''मनरेगा मजदूरों के बैंक खातों में नहीं जा रही है, सितम्बर से मजदूरी की राशि'' के आलोक में क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को 100 दिनों का रोजगार देने का प्रावधान है, परंतु बजटीय आवंटन नहीं मिलने के कारण मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी राशि सितम्बर माह से श्रमिकों के बैंक खाता में नहीं जाने से उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त श्रमिकों को मजदूरी राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बिहार स्कील डेवलपमेंट मिशन

10. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में बिहर स्कील डेवलपमेंट मिशन के अन्तर्गत डोमेन स्कील योजना चलाई जा रही है, जिसमें प्रशिक्षण में कार्य कुशलता प्राप्त कर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियोजन के योग्य माना जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि श्रम संसाधन विभाग की इकाई बिहार स्कील डेवलपमेंट मिशन की बेवसाईट एच0टी0टी0पी0 स्कील मिशन बिहार, ओ0आर0जी0 (http://skillmissionbihar.org) के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में इसके अन्तर्गत वर्तमान में एक लाख चौदह हजार पाँच सौ पैंतालिस (1,14,545) अभ्यर्थी नामांकित हुये तथा प्रशिक्षण में कार्य कुशलता प्राप्त कर पचपन हजार चार सौ अड़तालिस (55,448) अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्राप्त हुई, जिसमें लगभग सात हजार दो सौ (7,200) युवाओं को नियोजित किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार डोमेन स्कील योजना में शत-प्रतिशत सफलता प्राप्त करने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

कार्रवाई करना

11. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 31 अगस्त, 2021 को प्रकाशित शीर्षक ''अभियंता के पास कागज पर 65 हजार, गाड़ी में 18 लाख एवं घर में रखे 49 लाख'' समाचार को ध्यान में रखकर क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अगस्त, 2021 में प्रभारी अधीक्षण अभियंता कार्य अंचल, दरभंगा के पास 67 लाख नकद एवं करोड़ों की चल-अचल सम्पत्ति की बरामदगी के बाद भी उन्हें थाने से जमानत मिल गई एवं उनके विरुद्ध निलम्बन की प्राथमिक कार्रवाई नहीं हुई ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पदाधिकारी सहित अन्य भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध समयबद्ध जाँच एवं कठोर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 1 दिसम्बर, 2021 (ई0) ।

शैलेन्द्र सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

बि0स0मु0, 42(एल0ए0), 2021-22-डी0टी0पी0-550